UPMP040067982026

Presented on : 31-03-2026
Registered on : 01-04-2026
Decided on : 15-05-2026
Duration : 0 years, 1 months, 15 days

Criminal Misc. Cases/895/2026

न्यायालय सिविल जज (अ.व.)/एफ.टी.सी (सी.ए.डब्लू), मैनपुरी।
प्रकीर्ण वाद संख्या –30/2026
खुशबू देवी बनाम श्याम सिंह आदि।

धारा – 173(4) BNSS 2023
थाना – औंछा
जिला – मैनपुरी।

निस्तारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) BNSS 2023

दिनांकः 15.05.2026

पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है। आवेदिका **खुशबू देवी पत्नी मदन** को धारा 173(4) BNSS 2023 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कागज संख्या 3 'अ' पर, जो शपथ पत्र द्वारा समर्थित है, पूर्व में ही सुना जा चुका है।

आवेदिका ने संक्षेप में कथन किया है कि आवेदिका का पुत्र दिनांक 09.01.26 को समय करीब 6 बजे घर के बाहर खेल रहा था। तभी श्याम सिंह उर्फ गुड्डु ने प्रार्थिनी के लडके को गाली दी तथा पेट में लात मारी। प्रार्थिनी उक्त के विषय में विपक्षी के घर शिकायत की। दिनांक 10.01.26 के सुबह करीब 6 बजे विपक्षीगण लाठी डण्डे लेकर प्रार्थिनी के घर में घुस गये। तथा श्याम सिंह के हाथ में तमंचा था। प्रार्थिनी को लात घूसो से मारा पीटा। प्रार्थिनी के चिल्लाने पर उसका पुत्र गोलू को अमित ने सिर में डण्डा मार दिया जिससे वह बेहोश हो गया। अमित ने प्रार्थिनी के साथ छेडछाड की व कपडे फाड दिये। चीख पुकार पर प्रार्थिनी का पति व पडौसी ने आकर बचाया। जाते समय उक्त विपक्षीगणो ने जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने कोई रिपोर्ट नही लिखी ओर न ही कोई कार्यवाही की। अतः प्रार्थना है कि आवेदक की एफ.आई.आर दर्ज कर विवेचना कराए जाने हेतु थाना प्रभारी को आदेशित करने की कृपा करें।

आवेदन के परिप्रेक्ष्य में सम्बन्धित थाने से आख्या आहूत की गयी। थाने की आख्या के अनुसार प्रार्थनापत्र में वर्णित घटना के बावत आवेदिका की ओर से थाने में कोई अभियोग दर्ज नहीं है। प्रारम्भिक जाँच आख्या पत्रावली पर संलग्न है।

सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं प्रारम्भिक जाँच का सम्यक परिशीलन किया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह दर्शित होता है कि प्रार्थिनी द्वारा प्रार्थनापत्र में किये गये कथनो एवं प्रारम्भिक जाँच के परिशीलन से विदित होता है कि विपक्षीगणों के द्वारा लाठी–डंडें व नाजायज तमंचे के साथ प्रार्थिनी तथा आवेदिका के पुत्र के साथ भी मारपीट की तथा घर में घुसकर आवेदिका के साथ छेड़छाड़ कारित करने जैसे गंभीर आरोप लगाये हैं। अतः उक्त के सापेक्ष में आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता की विस्तृत दलीलों को सुनने के पश्चात और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना उपरांत नये तथ्य प्रकाश में आ सकते है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना–पत्र में वर्णित कथनों से प्रथम दृष्टया संज्ञेय मामला बनता प्रतीत होता है। विवेचना कराये जानें का आधार पर्याप्त है। तदनुसार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी.एन.एस.एस. स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना–पत्र कागज संख्या 3 'अ' अन्तर्गत धारा–173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 स्वीकार किया जाता है। सम्बन्धित थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि वह प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों के प्रकाश में मामला सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कर विवेचना करें व अग्रिम कार्यवाही से न्यायालय को समयानुसार अवगत कराये। इस आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अविलम्ब सम्बन्धित थाना को भेजी जावे तथा वह अपनी अनुपालन आख्या अन्दर माह न्यायालय में प्रस्तुत करें।

(मोनू)
न्यायिक मजिस्ट्रेट/ सिविल जज(अ०व०)
एफ.टी.सी.(सी.ए.डब्लू), मैनपुरी।